

भारत की विदेश नीति और भारतीय प्रवासी

1990 के दशक के आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की ओर नीतिगत बदलाव तथा भारत में भारतीयों और विदेशों में भारतीयों के बीच संचार के कई स्तरों के साथ, भारत सरकार का अपने प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ाव संरचनात्मक और संस्थागत स्तर पर गहरा हुआ।

भारत की प्रवासी नीतियों में बदलाव, बातचीत के कारणों, संदर्भ, विषयवस्तु और स्पंदनों में बड़े बदलाव से जुड़ा था। भारत के आर्थिक विकास के गति पकड़ने के बाद, वापस लौटने वाले भारतीयों, भारत में रहने वाले भारतीयों और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बीच बातचीत का एक नया विषय अब व्यावसायिक अवसरों और भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र तथा प्रवासी हितधारकों के बीच सहयोग के तरीकों पर चर्चा करना था।

मुख्य रूप से विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय प्रवासियों के साथ पुनः जुड़ाव की शुरुआत 1977 में विदेश मंत्रालय में अनिवासी भारतीय (एनआरआई) सेल की एक संस्थागत स्थापना के साथ हुई, जिसने कांसुलर अनुभागों के साथ मिलकर काम किया। वर्ष 2000 में, एनआरआई/पीआईओ प्रभाग बनाया गया, जिसने बदले में भारतीय प्रवासियों पर उच्च स्तरीय समिति बनाई। 2004 में, अनिवासी भारतीय मामलों का एक नया मंत्रालय बनाया गया और चार महीने बाद इसका नाम बदलकर प्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय (एमओआईए) कर दिया गया, जिसने प्रवासी भारतीयों से संबंधित सभी मामलों को देखना शुरू किया, जिसमें अनिवासी भारतीय (एनआरआई - भारतीय नागरिकता वाले) और भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ - मेजबान देश की नागरिकता वाले जातीय भारतीय) दोनों शामिल थे। इसके दो प्राथमिक कार्य थे, पहला, भारत के साथ बड़े भारतीय प्रवासियों को जोड़ना और दूसरा, प्रवासी भारतीयों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों से निपटना।

प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय (एमओआईए) ने भारत और प्रवासी समुदाय के बीच मज़बूत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई मंच और संचार माध्यम स्थापित किए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पहल इस प्रकार हैं:

- प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी): 2003 से, हर जनवरी को, जिस दिन महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, यह सम्मेलन भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित होता है। विभिन्न विषयों पर 13 संस्करणों का आयोजन करने के बाद, पीबीडी भारत में सबसे प्रतिष्ठित और उच्च प्रोफ़ाइल वार्षिक आयोजनों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। यह इस अवधि के दौरान है कि कई प्रवासी सदस्य देश का दौरा करते हैं और स्थानीय भारतीयों के साथ नेटवर्क बनाते हैं। पीबीडी के पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी समुदायों को शामिल करते हुए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला को जन्म दिया। 2007 से, भारत के बाहर न्यूयॉर्क, सिंगापुर, द हेग, डरबन, टोरंटो, मॉरीशस, सिडनी और लंदन जैसे स्थानों पर भी क्षेत्रीय पीबीडी आयोजित किए गए हैं।

- प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, जो हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान, विदेशों में भारत के कार्यों, प्रवासी भारतीयों के कल्याण, परोपकारी गतिविधियों या वैज्ञानिक उपलब्धियों में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित प्रवासी हस्तियों को दिया जाता है।

- प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम – इस योजना के तहत, 100 भारतीय मूल के/अनिवासी भारतीय छात्रों को इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, मानविकी, उदार कला, वाणिज्य, प्रबंधन, पत्रकारिता, होटल प्रबंधन, कृषि, पशुपालन और कुछ अन्य पाठ्यक्रमों में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष 4,000 अमेरिकी डॉलर तक की छात्रवृत्ति प्रदान

की जाती है। यह योजना 40 से अधिक देशों के प्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों के लिए खुली है, जहाँ भारतीय मूल के लोग अच्छी संख्या में रहते हैं।

- अन्य कार्यक्रमों में भारत को जानो कार्यक्रम, जो कि बर्थराइट इजरायल कार्यक्रम पर आधारित है, जड़ों का पता लगाना कार्यक्रम, भारत का अध्ययन कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

- विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) भारत के बाह्य सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने और कार्यान्वित करने वाली भारत की प्राथमिक एजेंसी है।

अपने प्रवासी समुदाय को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल नागरिकता नीतियों में संशोधन और दोहरी नागरिकता की अवधारणा को सुगम बनाना है। नौजोक्स (2013: 57-65) भारत की सदस्यता नीतियों का, विशेष रूप से पीआईओ कार्ड और ओवरसीज़ सिटिजनशिप ऑफ़ इंडिया (ओसीआई) के संबंध में, विस्तार से विश्लेषण करते हैं, जिसे वर्तमान भाजपा सरकार विलय करने की योजना बना रही है! 1999 में, भारत सरकार ने पीआईओ कार्ड शुरू किया, और 2004 के अंत में, ओसीआई पर एक अन्य सदस्यता श्रेणी के रूप में कानून पारित किया गया। हालाँकि, प्रारंभिक ओसीआई योजना के तहत, जो केवल 16 निर्दिष्ट देशों के मूल भारतीय नागरिकों तक सीमित थी, एक भी व्यक्ति को ओसीआई का दर्जा प्राप्त नहीं था। 2005 में, नागरिकता अधिनियम, 1955 में ओसीआई के संबंध में प्रावधान संशोधित किए गए, अन्य बातों के साथ-साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों के नागरिकों के लिए ओसीआई का दायरा बढ़ाया गया, जिसके बाद जनवरी 2006 में इस योजना को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीआईओ और ओसीआई कार्ड दोनों सदस्यों को भारत में वीजा और शिक्षा और निवेश से संबंधित सुविधाओं का अधिकार देते हैं, जबकि कोई भी राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार, ओसीआई और पीआईओ कार्ड धारकों को भारत में मतदान करने और सार्वजनिक पद धारण करने से बाहर रखा गया है। जबकि सितंबर 2002 के बाद जारी किए गए पीआईओ कार्ड की वैधता 15 साल है, ओसीआई एक आजीवन स्थिति है। दोनों योजनाओं के अस्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक पात्रता मानदंड के संबंध में है। गैर-भारतीय मूल के विदेशी नागरिक के पास पीआईओ कार्ड हो सकता है लेकिन ओसीआई प्राप्त करने के लिए आवेदक को भारतीय मूल का विदेशी नागरिक होना चाहिए।